प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा के निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक–06.05.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति :–

1. श्री कौशल किशोर, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री संजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना।
3. मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), BMSICL, पटना।
4. मुख्य महाप्रबंधक (सप्लाई चेन), BMSICL, पटना।
5. श्री अनिल कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0 एण्ड टी0।
6. श्री फैज अहमद, निदेशक, EDMAC, नई दिल्ली।

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा के निर्माण कार्यों, विशेषकर आधारभूत संरचना एवं मशीन उपकरणों की अधिप्राप्ति, के बिन्दु पर व्यापक समीक्षा की गई।

2. बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना (BMSICL) के पदाधिकारियों एवं एल0 एण्ड टी0 के उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा प्रधान सचिव को मधेपुरा में निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण एवं मशीन उपस्करों की अधिप्राप्ति में अद्यतन हुई प्रगति से अवगत कराया गया। निर्माण कार्यों एवं मशीन उपस्करों की अधिप्राप्ति की प्रगति पर प्रधान सचिव द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया गया।

3. **आधारभूत संरचना** – एम0सी0आई0 के आसन्न निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रधान सचिव द्वारा एल0 एण्ड टी0 के उपस्थित प्रतिनिधि से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के समय की जानकारी माँगी गयी। एल0 एण्ड टी0 के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा प्रधान सचिव को आश्वस्त किया गया कि मधेपुरा के निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित समस्त निर्माण कार्य 30 जून, 2019 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा इस timeline का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– BMSICL एवं L&T)

4. **मशीन उपकरणों की अधिप्राप्ति** – प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा प्रधान सचिव को अवगत कराया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा के लिए आवश्यक मशीन उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रकाशित पहली निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उसे रद्द करना पड़ा। पुनः प्रकाशित निविदा की समीक्षा में भी कोई निविदादाता तकनीकी रूप से अर्हित नहीं पाये जा रहे हैं। अतः इसे भी रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाना अपेक्षित होगा।

प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना द्वारा प्रधान सचिव को यह भी अवगत कराया गया कि पुनर्निविदा प्रारूप पूर्णरूप से तैयार है एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्ति के तुरंत बाद पुनर्निविदा प्रकाशित कर दिया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के तुरंत पश्चात् इसका प्रकाशन सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

क्रमशः

प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि निगम फर्नीचर/उपस्कर एवं निगम द्वारा विभिन्न सामग्रियों के लिए किये गये rate contract के सभी उपकरण का अधिष्ठापन अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन– BMSICL)

5. **एम0सी0आई0 को निरीक्षण शुल्क का भुगतान** – प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा द्वारा अवगत कराया गया कि एम0सी0आई0 को संस्थान के निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क के रूप में रु0 3.54 लाख उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। सम्प्रति यथेष्ठ उपबंध एवं आवंटन का अभाव है। संस्थान के प्राचार्य के नाम से संचालित बैंक खाते में अर्जित सूद की राशि से, आदेशोपरान्त, तत्काल निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

प्रधान सचिव द्वारा प्राचार्य के नाम से संचालित बैंक खाते में अर्जित सूद की राशि से तत्काल निरीक्षण शुल्क हेतु आवश्यक राशि (रूपये 3.54 लाख मात्र) की निकासी की अनुमति इस शर्त्त के साथ प्रदान की गई कि उपबंध/आवंटन प्राप्त होते ही इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित खाते को कर दी जायेगी।

(अनुपालन–प्राचार्य, ज0न0क0ठा0 चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा)

6. **पहुँच पथ का निर्माण** – प्रधान सचिव द्वारा निगम से अगस्त, 2019 तक निश्चित रूप से पहुँच पथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिये जाने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव को प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा तक भी पथ निर्माण की आवश्यकता है। इस क्रम में समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पथ के निर्माण हेतु 10 डिसमिल अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता संसूचित है। चिह्नित भूमि शिक्षा विभाग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। इसके पश्चात् समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा शिक्षा विभाग की अनापत्ति की अपेक्षा की गई है। विभाग की ओर से भी शिक्षा विभाग से शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जो सम्प्रति अप्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा शिक्षा विभाग को स्मारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1)

7. **अस्पताल को क्रियाशील करना** – प्रधान सचिव द्वारा प्राचार्य को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को अविलम्ब क्रियाशील करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि वर्तमान में जिला अस्पताल, मधेपुरा में सम्पन्न होने वाले समस्त चिकित्सीय कार्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा में अविलम्ब प्रारम्भ किये जायें एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के साथ–साथ अस्पताल के चिकित्सीय सुविधाओं में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– प्राचार्य/अधीक्षक, ज0न0क0ठा0 चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा)

8. **फैकल्टी की उपलब्धता** – अपर सचिव द्वारा प्रधान सचिव को अवगत कराया गया कि LOP के लिए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में आवश्यक 45 फैकल्टी के विरूद्ध 20 फैकल्टी, 18 सिनियर रेजिडेन्ट के विरूद्ध 9 सिनियर रेजिडेन्ट, 14 ट्यूटर के विरूद्ध 15 ट्यूटर कार्यरत हैं। वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रतिक्रिया की समाप्ति के उपरान्त फैकल्टी की कमी को 85–86 प्रतिशत तक पूरा कर लिया जायेगा।

क्रमशः

इसके अतिरिक्त अपर सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान को मानक के अनुरूप 27 जूनियर रेजिडेन्ट की भी आवश्यकता होगी। जूनियर रेजिडेन्ट की इस कमी को "walk-in-interview" द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रधान सचिव द्वारा तदनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17)

9. **गैर–फैकल्टी कर्मियों की उपलब्धता** – प्रधान सचिव द्वारा प्राचार्य से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पारा मेडिकल/नर्सिंग कर्मी की नियुक्ति में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा निदेश के बावजूद संविदागत नियोजन नहीं किया गया है। प्रधान सचिव द्वारा इस पर गंभीर असंतोष एवं क्षोभ व्यक्त किया गया एवं प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17/
प्राचार्य/अधीक्षक, ज0न0क0ठा0 चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

8/5/2019
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 1/म॰कॉ॰-06/2014-563(1)/स्वा0, पटना, दिनांक– 8 / 5 /2019

प्रतिलिपिः– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/5/2019
प्रधान सचिव